अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या–विविध 80–01 / 2022.....1394

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत / नगरपालिका)
–सह– जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–4/5/2026

विषय :– माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों के संबंध में।
प्रसंगः– आयोग कार्यालय का पत्रांक–1397 दिनांक–07.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय आयुक्त महोदय न्यायालय में उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों हेतु स्थायी आदेश / प्रोटोकॉल के अनुपालन नहीं होने पर जिले के पंचायत एवं नगरपालिका के प्रभारी पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी थी, इसके बावजूद इसका अनुपालन कतिपय जिलो द्वारा सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि आयुक्त महोदय के न्यायालय उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल / स्थायी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

4/5/26

सचिव।

ज्ञापांक :– विविध 80–01 / 2022.....1394 पटना, दिनांक.....4/5/2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी (नगरपालिका) / उप निर्वाचन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

4/5/26

सचिव।

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या–विविध –80–01/2022 1795

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 4/5/2026

विषय :– बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–135 एवं धारा–136 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18 एवं धारा–475 के तहत दायर वाद के अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण हेतु अद्यतन S.O.P. (मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया) के संबंध में।

प्रसंग– आयोग का पत्रांक–1214 दिनांक–10.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–135 एवं धारा–136 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18 एवं धारा–475 के तहत दायर वाद के अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण में विभिन्न जिलों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः विगत अनुभव के आधार पर निरर्हता से संबंधित मामलों में पत्रांक–1214 दिनांक–10.03.2024 से प्रेषित मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P.) को अद्यतन करते हुए पुनः अनुपालन हेतु पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक– विविध –80–01/2022 1795 पटना, दिनांक– 4/5/2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

सचिव।

ज्ञापांक– विविध –80–01/2022 1795 पटना, दिनांक– 4/5/2026

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

नगरपालिका में निरर्हता से संबंधित मामलों में जिला प्रशासन द्वारा अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण हेतु S.O.P. (मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया)–

माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 एवं धारा–475 के तहत दायर मामलों में अभिलेखों का सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण में सभी जिलों द्वारा अलग–अलग प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है, जिसके कारण मामले के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होने के साथ–साथ प्रतिवेदन में एकरूपता के अभाव के कारण निस्तारण के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किए जाने वाले वादों में आयोग में एवं सरकार के स्तर पर कठिनाईयों का अनुभव किया गया है। विगत् अनुभवों के आधार पर निरर्हता से संबंधित मामलों में अभिलेखों का सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण (Fact Finding) के लिए एक मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P) का निर्धारण करते हुए, आयोग के पत्रांक–1214, दिनांक–10.03.2024 से अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था। उक्त S.O.P को अद्यतन करते हुए, पुनः अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा रहा है, **क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) कर्णांकित मामलो के अतिरिक्त अन्य मामलो में** Fact Finding body **है।**

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P):–

जिला प्रशासन द्वारा वाद/परिवाद की प्रति प्राप्त होने के उपरांत निम्नांकित कदम उठाएँ जाऐगे:–

01. मामले की जाँच हेतु जिला स्तरीय वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नगरपालिका अथवा अपर समाहर्त्ता अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरीय उप समाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, परन्तु वह प्रभारी आरोपों से संबद्ध न हो इस तथ्य का ख्याल रखा जाएगा।

02. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा की जाएगी तथा समीक्षोपरांत अपनी सहमति/असहमति/निष्कर्ष/विशेष टिप्पणी अंकित कर आयोग को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित की जाएगी। जाँच प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय साक्ष्य अनुलग्नक के रूप में अवश्य संलग्न किए जाऐगे।

03. वाद की प्रति प्राप्त होने के उपरांत जाँच अधिकतम 03 माह में पूरी की जाएगी।

04. आयोग में सुनवाई के दौरान सदैव जिला स्तरीय वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नगरपालिका अथवा अपर समाहर्त्ता अथवा वरीय उप समाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

05. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) अनिवार्य रूप से जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी को S.O.P की प्रति प्रत्येक जाँच के आदेश के साथ प्रेषित करेंगे।

<u>जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P):–</u>

01 जाँच पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) से प्राप्त मामले की जाँच स्वयं करेंगे। किसी भी हालत में जाँच की जिम्मेवारी अधीनस्थ पदाधिकारियों यथा अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि को नहीं दी जाएगी, और न ही उनसे प्राप्त प्रतिवेदन को निष्कर्ष का आधार बनाया जाएगा, बल्कि स्वतंत्र जाँच से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही Fact Finding की जाएगी।

02. जाँच पदाधिकारी द्वारा वाद/परिवाद का गहन अवलोकन करने के उपरांत वाद के मूल कारणों की पहचान की जाएगी।

03. वाद के साथ संलग्न किए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का मिलान रेकर्ड से कराया जाएगा तथा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि संलग्न अभिलेख प्रमाणिक(Genuine/Authentic) हैं, अथवा गलत एवं कूट रचित(False and Fabricated) है।

04. जाँच पदाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कराकर अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित करेंगे।

05. दोनों पक्षों के अभिकथन/साक्ष्य को प्राप्त एवं अभिलिखित किया जाएगा, परन्तु जाँच पदाधिकारी अपना निष्कर्ष/मंतव्य समग्र रूप से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निर्लिप्त भाव से अंकित करेंगे, परन्तु ऐसा निष्कर्ष अथवा मंतव्य अंकित नहीं किया जायेगा, जो कि जाँच पदाधिकारी के आदेश का द्योतक हो, अथवा जान–बुझकर तथ्यों के विपरीत संशय उत्पन्न करता हो।

06. जाँच पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों से जाँच कराए जाने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा तथा इसकी अवहेलना आयोग के आदेशों की अवहेलना मानी जाएगी।

<u>जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P)</u>

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) द्वारा जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी को मामला संदर्भित होने के उपरांत उनके द्वारा वाद/परिवाद के मूल बिन्दुओं की पहचान आवश्यक है। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 में उल्लेखित निरर्हता संबंधित धाराओं का विवरण एवं इनके संबंध में अपनाई जाने वाली मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P) निम्नलिखित हैं:–

❖ **<u>धारा–475 के तहत मतदाता सूची से संबंधित मामला</u>**

➢ वर्तमान मतदाता सूची(नगरपालिका एवं विधान सभा) का परीक्षण करना।

- नाम, वर्तनी, पता या अन्य प्रविष्टि में भिन्नता की स्थिति को रेखांकित करना।
- भिन्नता के कारणों का परीक्षण करना।
- मूल मतदाता सूची में नाम नहीं होने का कारण अथवा पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़ने से संबंधित प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों की जाँच करना।
- विगत् निर्वाचन के मतदाता सूची से तुलना करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–475 के तहत जाति से संबंधित मामला**

- जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का आधार–खतियान, भू–अभिलेख अथवा स्थल निरीक्षण का उल्लेख करना।
- खतियान में अंकित जाति का परीक्षण करना।
- दो या दो से अधिक खतियान होने की स्थिति में खतियान के प्रकाशित होने के वर्ष के साथ अंकित जाति का उल्लेख करना।
- अन्य भू–अभिलेख यथा–दान–पत्र कैवाला आदि में अंकित जाति तथा इन भू–अभिलेखों के निर्गत होने का वर्ष का उल्लेख करना।
- भू–अभिलेखों का सत्यापित प्रति अभिलेखागार/निबंधन कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न करना।
- स्थल निरीक्षण के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के मामले में अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं साक्ष्यों को प्राप्त कर संलग्न करना तथा स्पष्ट करना कि स्थल निरीक्षण में नियमानुकूल किया गया है, या नहीं है, क्योंकि निरीक्षण न्यूनतम अंचलाधिकारी स्तर से किया जाना है।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(क) भारतीय नागरिक नहीं होने से संबंधित मामला**

- वादी एवं प्रतिवादी से उनके दावें के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का संबंधित नेपाली प्रशासन से सत्यापन प्राप्त करना, इसके लिए संबंधित Consulate General of India का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

- प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का संबंधित नेपाली प्रशासन से सत्यापन प्राप्त करना, इसके लिए संबंधित Consulate General of India का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ख) संवीक्षा के प्रथम तिथि को आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम होने से संबंधित मामला।**

- Matriculation अथवा समकक्ष परीक्षा से संबंधित अंक–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र संबंधित विद्यालय/वादी/प्रतिवादी से प्राप्त करना एवं इसका सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के माध्यम से BSEB/CBSE अथवा संबंधित बोर्ड से एक माह के अन्दर प्राप्त करना।
- सहायक साक्ष्य के रूप में प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों के नामांकन पंजी के अभिप्रमाणित प्रति को प्राप्त करना।
- S.L.C./C.L.C./T.C. की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करना।
- पंजीयन (Registration) प्रति/Cross List प्राप्त करना।
- PAN Card/Voter I.D. Card/जन्म प्रमाण–पत्र आदि में Matriculation से भिन्न जन्मतिथि रहने की स्थिति में इनके निर्गत होने का वर्ष, इनमें अंकित जन्मतिथि का आधार तथा इनके निर्गत होने में अपनाई गई प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं प्रतिवेदन में इसकी स्पष्ट जानकारी।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ग) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की सेवा में होना।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- सेवा–शर्त्त/सेवा नियमावली की प्रति प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।

- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(घ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में होना।**

- यह निर्धारित करना कि दावें के अनुसार संस्था को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।
- सेवा–शर्त्त/सेवा नियमावली की प्रति प्राप्त करना।
- संस्था को जिस विभाग या कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, उसकी पहचान करना।
- संस्था में प्रतिनियोजन/सेवा के बदले प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की प्रकृति अर्थात् वेतन, मानदेय अथवा कमीशन की पहचान करना।
- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।
- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ङ.) संवीक्षा के प्रथम तिथि को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित् का न्याय–निर्णय पारित होना।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(च) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्यूत होने या किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।

- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(छ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को सजायाफ्ता से संबंधित मामलों में अथवा किसी अपराधिक कांड का अभियुक्त होने के कारण 06 माह से अधिक समय से फरार हो।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- सक्षम न्यायालय द्वारा भगोड़ा या फरार घोषित करने संबंधी आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ज) संवीक्षा के प्रथम तिथि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र नहीं रहने के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(झ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को नगरपालिका के अधीन वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करने के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।
- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ञ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को भ्रष्ट आचरण को दोषी पाए जाने के संबंध में।**

- बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–476 में उल्लिखित विहित प्राधिकारी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–481 में वर्णित भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित किए जाने संबंधी आदेश/न्याय–निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त करना।

- भ्रष्ट आचरण घोषित करने हेतु अन्य सक्षम प्राधिकार यथा–विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, लोकायुक्त, लोक प्रहरी आदि की आदेश की प्रति।
- वादी द्वारा दिए गए अभिलेख/संकेत के आधार पर जाँच, तुलनात्मक अध्ययन।
- जाँच एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भ्रष्ट आचरण को स्थापित करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–18(1)(ट) जिस वर्ष निर्वाचन हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उसपर नगरपालिका के बकाए सभी करों का उसने भुगतान नहीं किया हो।**

- वादी द्वारा दिए गए अभिलेखों का सत्यापन।
- वादी द्वारा दिए गए अभिलेख/संकेत के आधार पर जाँच, तुलनात्मक अध्ययन।
- जाँच एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए गए Holding अथवा भूखण्ड का Holding Tax जमा है कि नहीं, का अभिलेखीय साक्ष्य।
- दिये गये प्रारूप में प्रतिवेदन तैयार करना:–

क्र0सं0	वादी द्वारा दिये गये, संपति का विवरण	संपति का मलिकाना हक	प्रतिवादी से संबंध	संपति की भौतिक अवस्थिति		Holding Tax भुगतान की स्थिति	
				पचांयत वार्ड सं0	नगरपालिका वार्ड सं0	दिनांक–31.मार्च.....तक	देयता के विरूद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि

(आवश्यकता पड़ने पर Row की संख्या बढ़ायें)।

❖ **धारा–18(1)(ठ) कर्त्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार अथवा जान–बुझकर उपेक्षित करना अथवा निहित शक्तियों का दुरूपयोग करना।**

- वादी द्वारा दिए गए अभिलेखों का सत्यापन।
- वादी द्वारा दिए गए अभिलेख/संकेत के आधार पर जाँच, तुलनात्मक अध्ययन।
- अध्ययन के आधार पर Codel Provision को करने से इन्कार हुआ है, अथवा नहीं स्थापित करना।
- यदि मामला सामान्य बोर्ड की बैठक तथा सशक्त स्थायी समिति के बैठक नहीं करने से संबंधित हो, तो निम्न प्रारूप/प्रपत्र में अभिलेखीय साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना:–
  - बैठकों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है:–
  - **जिला का नाम** :–
  - **नगरपालिका का नाम** :–

➢ वर्तमान बोर्ड के गठन की तिथि :–

क्र0सं0	माह	सामान्य बोर्ड की बैठक की न्यूनतम संख्या	सामान्य बैठकों की तिथि	सशक्त स्थायी समिति बैठक की न्यूनतम सं0	सशक्त बैठकों की तिथि	संबंधित बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति	अभ्युक्ति

नोटः–साक्ष्य स्वरूप बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठकों के कार्यवाही प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

➢ जाँच एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शक्तियों का दुरूपयोग को स्थापित करना।

➢ अन्य आवश्यक कदम/साक्ष्य अनुलग्न जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ <u>धारा–18(1)(ड) दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान।</u>

➢ वादी द्वारा दिए गए अभिलेखों का सत्यापन।

➢ क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों के जन्म पंजीकरण–पंजी की जाँच।

➢ टीकाकरण–पंजी की जाँच।

➢ क्षेत्र के आँगनवाड़ी केन्द्र के निबंधन–पंजी एवं टीकाकरण–पंजी की जाँच।

➢ क्षेत्र के आँगनवाड़ी केन्द्र से प्रसव कालीन एवं प्रसवोंपरांत पोषाहार आदि की जाँच।

➢ प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों के नामांकन–पंजी की जाँच।

➢ राशन कार्ड एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनाओं में निबंधन एवं लाभ प्राप्ति की जाँच।

➢ क्षेत्र के निबंधन कार्यालय के गोदनामा की जाँच।

➢ क्षेत्र के सभी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु प्राधिकृत निबंधक के पंजियों की जाँच।

➢ अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ <u>धारा–18(1)(ढ़) बिना पूर्वानुमति के लगातार तीन बैठक में उपस्थित होना।</u>

➢ वादी द्वारा दिए गए अभिलेखों का सत्यापन।

➢ दावेंदारी के अनुसार दिए गए तिथियों के बीच होने वाले सभी बैठकों की तिथिवार सूची।

➢ सभी बैठकों के ऐजेण्डा की छायाप्रति।

➢ सभी बैठकों हेतु निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन की जाँच।

➢ अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–विविध 80–01/2022 1397

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह– जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 7.4.22

विषय :– माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रायः यह पाया जा रहा है कि आयोग के आदेश के विपरीत जिला पंचायत राज पदाधिकारी/वरीय उप समहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी के स्थान पर कनीय स्तर के पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा रहा है। कतिपय मामलों में आयोग के आदेश के वाबजूद निर्धारित तिथियों को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अनुपस्थित भी पाये जा रहे है।

उक्त स्थिति में आयोग द्वारा यह आदेश दिया गया है कि–

1. न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से निम्नांकित सिद्धान्त के आधार पर प्राधिकृत किया जाए–
(क) पंचायत संबंधी वाद में प्राधिकृत पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे अपरिहार्य स्थिति में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर किसी अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाए जिन्हें विषय वस्तु की जानकारी हो परन्तु अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख प्राधिकार पत्र में अवश्य किया जाए।
(ख) नगरपालिका संबंधी वाद में प्राधिकृत पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी (जो नगरपालिका संबंधी कार्यों के प्रभारी हो) होंगे। अपरिहार्य स्थिति में इनके स्थान पर किसी वरीय उपसमाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाए जिन्हें विषय वस्तु की जानकारी हो परन्तु अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख प्राधिकार पत्र में अवश्य किया जाए।
(ग) किसी वाद में बदल–बदलकर पदाधिकारियों को प्राधिकृत नहीं किया जाए। एकबार जिस पदाधिकारी को किसी वाद में प्राधिकृत कर दिया जाएगा। वही पदाधिकारी वाद की समाप्ति तक उस वाद के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

पंचायत में निरर्हता से संबंधित मामलों में जिला प्रशासन द्वारा अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण हेतु S.O.P. (मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया)–

माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं धारा–136 के तहत दायर मामलों में अभिलेखों का सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण में सभी जिलों द्वारा अलग–अलग प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है, जिसके कारण मामले के निष्तारण में अनावश्यक विलम्ब होने के साथ–साथ प्रतिवेदन में एकरूपता के अभाव के कारण निष्तारण के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किए जाने वाले वादों में आयोग में एवं सरकार के स्तर पर कठिनाईयों का अनुभव किया गया है। विगत् अनुभवों के आधार पर निरर्हता से संबंधित मामलों में अभिलेखों का सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण (Fact Finding) के लिए एक मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P) के निर्धारण करते हुए, S.O.P. के पत्रांक–1214, दिनांक–10.03.2024 से अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था। उक्त S.O.P. को अद्यतन करते हुए। पुनः अनुपालन हेतु प्रेषित किया जा रहा है, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) कर्णाकित मामलो के अतिरिक्त अन्य मामलो में Fact Finding body है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P):–

जिला प्रशासन द्वारा वाद/परिवाद की प्रति प्राप्त होने के उपरांत निम्नांकित कदम उठाएँ जाऐगे:–

01. मामले की जाँच हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में अपर समाहर्त्ता अथवा वरीय उप समाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
02. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा की जाएगी तथा समीक्षोपरांत अपनी सहमति/असहमति/निष्कर्ष/विशेष टिप्पणी अथवा सुझाव अंकित कर आयोग को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित की जाएगी। जाँच प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय साक्ष्य अनुलग्नक के रूप में अवश्य संलग्न किए जाऐगे।
03. वाद की प्रति प्राप्त होने के उपरांत जाँच अधिकतम 03 माह में पूरी की जाएगी।
04. आयोग में सुनवाई के दौरान सदैव जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा वरीय उप समाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

05. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) अनिवार्य रूप से जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी को S.O.P. की प्रति प्रत्येक जाँच के आदेश के साथ प्रेषित करेंगें।

जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P):–

01. जाँच पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) से प्राप्त मामले की जाँच स्वयं करेंगे। किसी भी हालत में जाँच की जिम्मेवारी अधीनस्थ पदाधिकारियों यथा अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि को नहीं दी जाएगी।

02. जाँच पदाधिकारी द्वारा वाद/परिवाद का गहन अवलोकन करने के उपरांत वाद के मूल कारणों की पहचान की जाएगी।

03. वाद के साथ संलग्न किए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का मिलान रेकर्ड से कराया जाएगा तथा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि संलग्न अभिलेख प्रमाणिक(Genuine/Authentic) हैं, अथवा गलत एवं कूट रचित(False and Fabricated) है।

04. जाँच पदाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कराकर अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित करेंगे।

05. दोनों पक्षों के अभिकथन/साक्ष्य को प्राप्त एवं अभिलिखित किया जाएगा, परन्तु जाँच पदाधिकारी अपना निष्कर्ष/मंतव्य समग्र रूप से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निर्लिप्त भाव से अंकित करेंगे, परन्तु ऐसा निष्कर्ष अथवा मंतव्य अंकित नहीं किया जायेगा, जो कि जाँच पदाधिकारी के आदेश का द्योतक हो, अथवा जान–बुझकर तथ्यों के विपरीत संशय उत्पन्न करता हो।

06. जाँच पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों से जाँच कराए जाने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा तथा इसकी अवहेलना आयोग के आदेशों की अवहेलना मानी जाएगी।

जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी के लिए मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) द्वारा जाँच–सह–सत्यापन पदाधिकारी को मामला संदर्भित होने के उपरांत उनके द्वारा वाद/परिवाद के मूल बिन्दुओं की पहचान आवश्यक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 में उल्लेखित निरर्हता संबंधित धाराओं का विवरण एवं इनके संबंध में अपनाई जाने वाली मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया (S.O.P) निम्नलिखित हैं:–

❖ **धारा–135 के तहत मतदाता सूची से संबंधित मामला**

- वर्तमान मतदाता सूची(पंचायत एवं विधान सभा) का परीक्षण करना।
- नाम, वर्तनी, पता या अन्य प्रविष्टि में भिन्नता की स्थिति को रेखांकित करना।

- भिन्नता के कारणों का परीक्षण करना।
- मूल मतदाता सूची में नाम नहीं होने का कारण अथवा पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़ने से संबंधित प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों की जाँच करना।
- विगत् निर्वाचन के मतदाता सूची से तुलना करना।
- अन्य आवश्यक कदम/साक्ष्य संलग्न जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–135 के तहत जाति से संबंधित मामला**

- जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का आधार–खतियान, भू–अभिलेख अथवा स्थल निरीक्षण का उल्लेख करना।
- खतियान में अंकित जाति का परीक्षण करना।
- दो या दो से अधिक खतियान होने की स्थिति में खतियान के प्रकाशित होने के वर्ष के साथ अंकित जाति का उल्लेख करना।
- अन्य भू–अभिलेख यथा–दान–पत्र कैवाला आदि में अंकित जाति तथा इन भू–अभिलेखों के निर्गत होने का वर्ष का उल्लेख करना।
- भू–अभिलेखों का सत्यापित प्रति अभिलेखागार/निबंधन कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न करना।
- स्थल निरीक्षण के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के मामले में अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं साक्ष्यों को प्राप्त कर संलग्न करना तथा स्पष्ट करना कि स्थल निरीक्षण में नियमानुकूल किया गया है, या नहीं, क्योंकि स्थल निरीक्षण स्वयं अंचलाधिकारी के स्तर से किया जाना है।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(क) भारतीय नागरिक नहीं होने से संबंधित मामला**

- वादी एवं प्रतिवादी से उनके दावें के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का संबंधित नेपाली प्रशासन से सत्यापन प्राप्त करना, इसके लिए संबंधित Consulate General of India का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों का संबंधित नेपाली प्रशासन से सत्यापन प्राप्त करना, Consulate General of India का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(ख) संवीक्षा के प्रथम तिथि को आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम होने से संबंधित मामला।**

- Matriculation अथवा समकक्ष परीक्षा से संबंधित अंक–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र संबंधित विद्यालय/वादी/प्रतिवादी से प्राप्त करना एवं इसका सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक के माध्यम से अधिकत्तम एक माह में BSEB/CBSE अथवा संबंधित बोर्ड से प्राप्त करना।
- सहायक साक्ष्य के रूप में प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों के नामांकन पंजी के अभिप्रमाणित प्रति को प्राप्त करना।
- S.L.C./C.L.C./T.C. की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करना।
- पंजीयन (Registration) प्रति/Cross List प्राप्त करना।
- PAN Card/Voter I.D. Card/जन्म प्रमाण–पत्र आदि में Matriculation से भिन्न जन्मतिथि रहने की स्थिति में इनके निर्गत होने का वर्ष, इनमें अंकित जन्मतिथि का आधार तथा इनके निर्गत होने में अपनाई गई प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं प्रतिवेदन में इसकी स्पष्ट जानकारी।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(ग) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की सेवा में होना।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- सेवा–शर्त्त/सेवा नियमावली प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।
- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(घ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में होना।**

- यह निर्धारित करना कि दावें के अनुसार संस्था को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।
- संस्था को जिस विभाग या कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, उसकी पहचान करना।
- संस्था में प्रतिनियोजन/सेवा के बदले प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की प्रकृति अर्थात् वेतन, मानदेय अथवा कमीशन की पहचान करना।
- सेवा–शर्त्त/सेवा नियमावली प्राप्त करना।
- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।
- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(ड.) संवीक्षा के प्रथम तिथि को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित् का न्याय–निर्णय पारित होना।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **धारा–136(1)(च) संवीक्षा के प्रथम तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्यूत होने या किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **136(1)(छ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को सजायाफ्ता से संबंधित मामलों में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।

- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **136(1)(ज) संवीक्षा के प्रथम तिथि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र नहीं रहने के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय/न्यायालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **136(1)(झ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को पंचायत के अधीन वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करने के संबंध में।**

- वादी एवं प्रतिवादी से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करना।
- प्राप्त साक्ष्यों का संबंधित कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- त्याग–पत्र की स्थिति में त्याग–पत्र की स्वीकृति के संबंध में संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार इसके प्रभाव में आने की तिथि को ज्ञात करना।
- त्याग–पत्र की स्वीकृति में प्रयोग किए गए नियम/बायलॉज की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न करना।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।

❖ **136(1)(ञ) संवीक्षा के प्रथम तिथि को भ्रष्ट आचरण को दोषी पाए जाने के संबंध में।**

- बिहार पंचायत अधिनियम–2006 की धारा–137 में उल्लिखित विहित प्राधिकारी द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा'141 में वर्णित भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित किए जाने संबंधी आदेश/न्याय–निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त करना।
- भ्रष्ट आचरण घोषित करने हेतु अन्य सक्षम प्राधिकार यथा–विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, लोकायुक्त, लोक प्रहरी आदि की आदेश की प्रति।
- अन्य आवश्यक कदम जो सही तथ्य को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक हो।